अध्याय - XI

प्रशासन और वित्त

विभाग के प्रशासनिक पक्ष में 4 स्थापना अनुभागों सहित सामान्य तथा रोकड़ अनुभाग शामिल हैं । यह पक्ष स्थापना और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करता है । इन चार स्थापना अनुभागों में से एक अनुभाग केंद्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) समूह 'क' के संवर्ग प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है इसके अतिरिक्त यह इंजीनियरों, ड्राफ्ट्समैन इत्यादि समूह 'ख' और 'ग' तकनीकी और गैर-तकनीकी संवर्ग के सेवा प्रबंधन तथा देश के विभिन्न भागों में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों/इंजीनियर संपर्क कार्यालयों के अन्य अधीनस्थ स्टाफ के प्रबंधन के लिए भी जिम्मेदार है । दूसरा अनुभाग विभाग में तकनीकी संवर्ग के अतिरिक्त कार्मिक मामलों का प्रशासन देखता है । तीसरा अनुभाग इस विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त शासी संगठन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रशासनिक मामलों को देखता है । चौथा अनुभाग समूह 'घ' पदों को देखता है और सभी स्थापना अनुभागों के साथ समन्वय रखता है ।

11.1.2 कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी निर्देशों और दिशा-निर्देशों के अनुरूप विभिन्न संवर्गों का प्रबंधन किया जाता है । विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने और उनके लिए आरक्षित खाली पदों को भरने के सभी प्रयास किए जाते हैं । सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या और उनमें अ.जा. एवं अ.ज.जा. के कर्मचारियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध- VIII** में दिया गया है ।

कल्याण

11.1.3 सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग के प्रशासनिक पक्ष के कल्याण प्रकोष्ठ द्वारा भारतीय रेडक्रास सोसाइटी के सहयोग से 29 सितम्बर, 2005 को परिवहन भवन में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 73 रक्तदाताओं ने रक्त दान किया ।

वित्त

11.1.4 अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, वित्त पक्ष के प्रमुख हैं । उनके काम में निदेशक (वित्त), और सहायक वित्त सलाहकार मदद करते हैं ।

11.1.5 एकीकृत वित्त सलाहकारों की स्कीम के अनुसार, वित्त सलाहकार का कार्य प्रशासनिक विभाग के कार्यक्षेत्र से संबंधित विभिन्न मामलों पर वित्तीय सलाह देना है । वह इस विभाग की विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों की योजना बनाने, कार्यक्रम निर्धारण करने, बजट बनाने, निगरानी रखने तथा मूल्यांकन करने में भी मदद करता है । वित्त सलाहकार के काम में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्य शामिल हैं -

- परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी संसदीय समिति को विस्तृत अनुदान मांगों पर विचार करने और बजट मामलों पर वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री के लिए समन्वय कार्य करना ।

- उन सभी परियोजनाओं जिन पर लोक निवेश बोर्ड (पी.आई.बी.) के स्तर पर निर्णय लिया जाना अपेक्षित हो, से संबंधित बोर्ड की बैठक से पूर्व होने वाली बैठकों की अध्यक्षता करना ।

- व्यय वित्त समिति/लोक निवेश बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले सभी प्रस्तावों की जांच करना तथा सचिव (व्यय) की अध्यक्षता वाली व्यय वित्त समिति को सचिवालयी सहायता सुलभ कराना ।

- विभाग के विभिन्न प्रशासनिक पक्षों से प्राप्त प्रस्तावों और स्कीमों को सहमति सहित वित्तीय सलाह देना ।

- पंचवर्षीय योजनाएं और वार्षिक योजनाएं तैयार करने में आवश्यक सहयोग देना ।

- इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्वायत्तशासी निकायों के आंतरिक संसाधनों और अतिरिक्त बजट संसाधनों का आकलन करना ।

- विभिन्न स्वायत्तशासी निकायों के बजट प्रस्तावों की जांच करना तथा उनकी वैटिंग करना ।

- शून्य आधारित बजट विधि तंत्र के आधार पर योजनाओं/स्कीमों की समीक्षा करना ताकि उनमें इष्टतम उपलब्धि हो और व्यय सीमित हो ।

- परियोजनाओं तथा पहले से जारी स्कीमों की प्रगति/निष्पादन का मूल्यांकन करना ।

- वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना, मितव्ययता के उपाय करना तथा सभी प्रस्तावों की वित्तीय व्यवहार्यता का मूल्यांकन करना ।

- लेखा परीक्षा आपत्तियों, निरीक्षण रिपोर्ट/समीक्षा तथा ड्राफ्ट ऑडिट पैरा आदि के निपटान पर नजर रखना और लेखा परीक्षा रिपोर्टों, विनियोजन लेखों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की रिपोर्ट पर अविलंब कार्रवाई सुनिश्चित करना ।

1.1.6 वित्त संबंधी सलाह देने के अलावा, वित्त सलाहकार, विभाग के बजट तथा लेखों का भी प्रभारी है । उसके दायित्वों में यह भी शामिल है कि -

- यह सुनिश्चित करना कि इस विभाग द्वारा वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप ही बजट तैयार तैयार किया जाए और बजट तैयार करते समय अनुसूची का कड़ाई से अनुपालन किया जाए ।

- बजट प्रस्तावों को वित्त मंत्रालय भेजने से पहले उनकी जांच करना ।

- यह सुनिश्चित करना कि विभागीय लेखे सामान्य वित्तीय नियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप रखे जा रहे हैं ।

- स्वीकृत अनुदानों की तुलना में खर्चों की समीक्षा करना और उनकी मानीटरिंग करना ।

11.1.7 वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार के प्रभार में एक परियोजना निगरानी प्रकोष्ठ (पी.एम.सी.) की स्थापना की गई है । इसका प्रमुख कार्य विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाओं समेत सभी परियोजनाओं पर निगरानी रखना है । यह प्रकोष्ठ पी आई बी/मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति द्वारा अनुमोदित/विचार किए जाने वाले मामलों में समय और लागत वृद्धि के कारणों की जांच करने के लिए गठित स्थायी समिति के सचिवालय के रूप में भी काम करता है । स्थायी समिति में योजना आयोग, सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की लागत लेखा शाखा के प्रतिनिधि होते हैं ।

राष्ट्रीय राजमार्ग वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली

11.1.8 सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग के जरिए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और प्रबंधन में लगी विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर वित्तीय प्रबंधन और बेहतर समन्वय के उद्देश्य से, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग के जरिए राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण और प्रबंधन में लगी विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर प्रबंधन और बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए "राष्ट्रीय राजमार्ग वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली" लागू की है । "राष्ट्रीय राजमार्ग वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली" का मुख्य उद्देश्य विभिन्न व्यय और लेखा प्रक्रिया को सुचारू बनाना है । वेब आधारित प्रौद्योगिकी, इंजीनियरी प्रभाग तथा सही समय पर जानकारी प्राप्त करने में अन्य व्यक्तियों की भी मदद करेगी जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों का बेहतर वित्तीय प्रबंधन होगा । राष्ट्रीय राजमार्ग वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली का कार्य निम्नानुसार है :-

- विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में चालू कार्यों की अद्यतन निर्देशिका की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।
- बजट नियंत्रण अर्थात् समग्र आधार और कार्य-दर-कार्य आधार पर बजट प्रावधानों की तुलना में किए गए व्यय की यथा समय सूचना प्रदान करना ।
- लोक निर्माण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय भुगतान और लेखा कार्यालयों, मुख्य लेखा नियंत्रक और इस विभाग के सड़क महानिदेशक के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना ।
- रिपोर्ट भेजने में विलंब को रोकने के लिए वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली लागू करना ।
- बिलों और भुगतान के सहा-सही समय की सूचना प्रदान करना ।
- पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना ।

11.1.9 सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग के प्रायोगिक आधार पर एकुरल एकाउंटिंग सिस्टम कार्यान्वित करने के लिए चुना गया है । यह आशा है कि इस प्रणाली के लागू होने के बाद परिसंपत्ति प्रबंधन के लिए बेहतर जानकारी उपलब्ध होगी ।